राजस्थान सरकार

न्यायालय अति. जिला कलक्टर करौली(राज0)

पीठासीन अधिकारी सुदर्शनसिंह तोमर आर.ए.एस

मुकदमा नम्बर 29/019 आर सी एम सए नं0 2019/00103 तारीख रजू 19.02.2019

1 सरकार जरिये तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली :-प्रार्थी

बनाम

1 रंगूराम पुत्र भौरया (फौत)
1/1 बलवानसिंह पुत्र रंगूराम
1/2 चन्द्रभानसिंह रंगूराम
1/3 रामरती वेवा रंगूराम
1/4 अनुज पुत्र गोपालसिंह
1/5 विकाश पुत्र गोपालसिंह
1/6 कश्मीरा पुत्री गोपालसिंह
1/7 सरवती वेवा गोपालसिंह
} समस्त जातियान गुर्जर निवासीयान कुढावल तहसील टोडाभीम जिला करौली

2 हंसराम पुत्र भौरया
3 एस.बी.बी.जे हाल एस.बी.आई. शाखा टोडाभीम

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितिः– 1 श्री रामभरोषी गुप्ता वकील अप्रार्थी
2 पैरोकार सरकार तहसीलदार

निर्णय **दिनांकः**– 26.02.2020

भूमिधारी तहसीलदार टोडाभीम ने अप्रार्थीयान के विरूद्व यह प्रार्थना पत्र रेफरेन्स का प्रस्तुत कर अवगत कराया है। कि आराजी खसरा नम्बर 474,475,476 कुल किता 3 कुल रकवा रकवा 1.62 है0 ग्राम कुढावल तहसील टोडाभीम मे स्थित है जिसका प्रार्थी लेण्ड होल्डर है। यह कि गत आराजी खसरा नम्बर 188 रकवा 4 वीघा सन् 1947 एवं इसके पश्चात गैरमुमकिन तलाई के रूप मे दर्ज था परन्तु जमाबंदी सम्बत 2000 से 19 के खाता संख्या 1 मे यह भूमि नियमन होकर चौवे, रामरतन रामजीलाल पुत्र भूरया जाति मीना के खातेदारी मे दर्ज हो गई है। तत्पश्चात भू प्रबन्ध विभाग द्वार गत खसरा नम्बर 113/2 का नवीन खसरा नम्बर 319 रकवा 1.01 है0 बनाकर हाल जमाबंदी मे अप्रार्थी के नाम दर्ज रिकार्ड है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड मे दर्ज झील तालाब नदी नाले जलाशय आदि की भूमि पर निजी खातेदार अधिकार उदभूत नही होते है। इस प्रकार से यह अंकित हस्तानान्तकरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी0बी0सिबिल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार मे माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 2.8.2004 के द्वारा नदी,नाले,जलाशय आदि की भूमि जो दिनांक 15.8.1947 मे राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। को वापिस सरकारी भूमि दर्ज करने एवं इसके बाद हुये परिवर्तन को अवैध घोषित किये जाने निर्देश है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है। कि खसरा नम्बर 319 रकवा 1.01 है0 वाके ग्राम चकगाजीपुर को वापिस राजकीय भूमि गैरमुमकिन तलाई को दर्ज किये जाने के आदेश दिये जावे।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र को साबित करने के लिऐ प्रार्थना पत्र के साथ रिपोर्ट पटवारी,मिसल जमाबंदी सम्बत 2009 से 19 मिलान क्षेत्रफल ,हाल जमांबंदी संम्बंत 2071 से 2074 तक खसरा गिरदावरी नक्शा ट्रेस पेश की है।

प्रार्थी का प्रार्थना दर्ज पंजीका कर अप्रार्थीयान को जरिये नोटिस तलब किया गया। जिसमे अप्रार्थी जरिये वकालान्तन उपस्थित आया ओर कोई जवाव पेश नही किया जो जवाव अप्रार्थीयान का बंद किया गया।

पैरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पैरोकार सरकार ने अपने बहस कथन में तहसीलदार टोडाभीम द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स माननीय उच्च न्यायालय जयपुर की खण्डपीठ के अनुसार सही पेश किया गया है जिसकी ताहीद में साविक व हाल रिकॉर्ड सामिल पत्रावली है जिसमे भूमि गैर मु. तलाई थी जिसे नियमन/आवंटन गलत तरीके से किया गया है। प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जावे।

हमने पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया तथा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तथा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन करने पर पाया कि जमाबंदी सम्बंत 2023 से 26 के खाता संख्या 1 मे आराजी खसरा नं. 188 रकवा 6 वीघा 8 विस्वा किस्म से गै0 मु0 तलाई के नाम दर्ज रिकॉर्ड रही है जिसे नामान्तकरण संख्या 68 दिनांक 30.12.67 के अनुसार भूमि आवंटन/ नियमन से खातेदारी में अप्रार्थीयान के बुजुर्ग नंगुराम आदि के नाम दर्ज होकर खातेदारी मे दर्ज हो गई है अब वर्तमान में अप्रार्थीयान के नाम खातेदारी में दर्ज रिकार्ड होकर मौके पर काबिज है। भूमि जमाबंदी में जिम्मन नं. 1 में जल मग्न होने पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड मे दर्ज झील,तालब,नदी,नाले,जलाशय आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उदभूत नही होते है। जो भी इन्द्राज हुये वो अवैध है। एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य है। जो निरस्त योग्य है। डी0बी0सिविल जनहित याचिका सख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार मे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 2.8.2004 के अपने विस्तृत निर्णय मे उल्लेख किया हैं कि All land shown as drainage channels like nalla,rivers,tributaries etc. as on 15-8-1947 should be declared as Government land.Any conversions made after 15-8-1947 should be declared illegal.The relevant act and rules must be ammened accordingly. माननीय उच्च न्यायालय के खण्ड पीठ द्वारा जनहित याचिका मे पारित निर्णय से हम सहमत हैं।

अतः भूमिधारी तहसीलदार टोडाभीम का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 474,475,476 कुल किता 3 कुल रकवा रकवा 1.62 है0 ग्राम कुढावल तहसील टोडाभीम जिला करौली कि भूमि को बापिस मुताबिक जमाबंदी सम्बत 2008 से 2019 के अनुसार राजकीय गैरमुमकिन तलाई दर्ज करने की स्वीकृति देने हेतु मूल पत्रावली राजस्व मण्डल अजमेर को भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 26.02.2020 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(सुदर्शन सिह तोमर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2020.05.19 11:27:59 IST
Reason: SelfAttested
Location: